

दिनांक 1 जुलाई 2015 का मास्टर परिपत्र बैंकवि.सं.बीपी.बीसी.1/21.06.201/2015-16 - बासल III पूंजी विनियमावली

क्र.	संदर्भित अनुच्छेद	मौजूदा भाग	आरबीआई विनियमन के संशोधित पाठ (ट्रैक चेंज मोड में)
1	5.15.3.1	<p>.....</p> <ul style="list-style-type: none"> ● जोखिम घटाने के लिए नेटिंग का प्रयोग किया जा सकता है।⁵¹ ● बाजार के परिवर्तनशील घटकों के अनुसार स्थितियों का मूल्यनिर्धारण बार-बार (अधिकतर दैनिक आधार पर) किया जाता है। ● रिमार्जिनिंग का प्रयोग किया जा सकता है। <p><i>फुटनोट 51: कृपया बैंकों के तुलनपत्रेतर एक्सपोजर के लिए विवेकपूर्ण मानदंड - प्रतिपक्ष क्रेडिट एक्सपोजर की द्विपक्षीय नेटिंग पर दिनांक 1 अक्टूबर 2010 का बैंकवि. सं. बीपी. बीसी. 48/21.06.001/2010-11 देखें। जैसा कि उस परिपत्र में संकेत किया गया है, व्युत्पन्न संविदाओं से उत्पन्न हुई बाजार दर आधारित मूल्यों की द्विपक्षीय नेटिंग अनुमत नहीं है।</i></p>	<p>.....</p> <ul style="list-style-type: none"> ● जोखिम घटाने के लिए नेटिंग का प्रयोग किया जा सकता है।⁵⁴ ● बाजार के परिवर्तनशील घटकों के अनुसार स्थितियों का मूल्यनिर्धारण बार-बार (अधिकतर दैनिक आधार पर) किया जाता है। ● रिमार्जिनिंग का प्रयोग किया जा सकता है। <p><i>फुटनोट 51: हटाया गया कृपया बैंकों के तुलनपत्रेतर एक्सपोजर के लिए विवेकपूर्ण मानदंड - प्रतिपक्ष क्रेडिट एक्सपोजर की द्विपक्षीय नेटिंग पर दिनांक 1 अक्टूबर 2010 का बैंकवि. सं. बीपी. बीसी. 48/21.06.001/2010-11 देखें। जैसा कि उस परिपत्र में संकेत किया गया है, व्युत्पन्न संविदाओं से उत्पन्न हुई बाजार दर आधारित मूल्यों की द्विपक्षीय नेटिंग अनुमत नहीं है।</i></p>
2	5.15.3.3	<p>.....</p> <p>प्रतिभूति वित्तीयन लेनदेन (एसएफटी) पुनरखरीद करार, रिवर्स पुनरखरीद करार, प्रतिभूति उधार देना और उधार लेना, संपार्श्विकृत उधार लेना और उधार देना (सीबीएलओ) तथा मार्जिन उधारदायी लेनदेन जैसे लेनदेन हैं, जहां लेनदेनों का मूल्य बाजार के मूल्यांकनों पर निर्भर करता है और लेनदेन अधिकांशतः मार्जिन करारों के अधीन होते हैं।</p> <p>हेजिंग सेट एकल नेटिंग सेट के भीतर लेनदेनों की जोखिम स्थितियों का एक समूह है, जिसके लिए सीसीआर मानकीकृत पद्धति के अंतर्गत एक्सपोजर राशि या ईएडी निर्धारित करने के लिए केवल उनका जमाशेष प्रासंगिक है।</p> <p>मौजूदा एक्सपोजर किसी प्रतिपक्ष के साथ एक नेटिंग सेट के अंतर्गत</p>	<p>.....</p> <p>प्रतिभूति वित्तीयन लेनदेन (एसएफटी) पुनरखरीद करार, रिवर्स पुनरखरीद करार, प्रतिभूति उधार देना और उधार लेना, संपार्श्विकृत उधार लेना और उधार देना (सीबीएलओ) तथा मार्जिन उधारदायी लेनदेन जैसे लेनदेन हैं, जहां लेनदेनों का मूल्य बाजार के मूल्यांकनों पर निर्भर करता है और लेनदेन अधिकांशतः मार्जिन करारों के अधीन होते हैं।</p> <p>नेटिंग सेट एकल प्रतिपक्षकार के साथ लेन-देन का एक समूह है जो विधिक रूप से लागू द्विपक्षीय नेटिंग व्यवस्था के अधीन है और इसके लिए नेटिंग को पूंजीगत उद्देश्यों के लिए मान्यता प्राप्त है। प्रत्येक लेन-देन जो कि कानूनी रूप से लागू द्विपक्षीय नेटिंग व्यवस्था के अधीन नहीं है जो कि विनियामकीय पूंजी उद्देश्यों के लिए मान्यता प्राप्त है, इन नियमों के उद्देश्य के लिए अपने स्वयं के नेटिंग सेट के रूप में व्याख्या की जानी चाहिए।</p>

क्र.	संदर्भित अनुच्छेद	मौजूदा भाग	आरबीआई विनियमन के संशोधित पाठ (ट्रेड चेंज मोड में)
		<p>किये गये लेनदेन अथवा लेनदेनों के पोर्टफोलियो के बाजार मूल्य या शून्य, इनमें जो भी अधिक हो, है जिसकी प्रतिपक्ष के डिफाल्ट करने पर हानि हो जाएगी, यह मानते हुए कि दिवालिया घोषित होने पर उन लेनदेनों का कोई मूल्य वसूल नहीं होगा। मौजूदा एक्सपोजर को अक्सर प्रतिस्थापन लागत भी कहा जाता है।</p> <p>साख मूल्यांकन समायोजन किसी प्रतिपक्ष के साथ लेन-देन के पोर्टफोलियो के मिड-मार्केट मूल्यांकन में परिवर्तन को कहते हैं। यह समायोजन किसी प्रतिपक्ष के साथ संविदात्मक करारों को निभा न पाने के कारण उत्पन्न साख जोखिम के बाजार मूल्य को व्यक्त करता है। यह समायोजन प्रतिपक्ष के साख जोखिम के बाजार मूल्य अथवा बैंक एवं प्रतिपक्ष, दोनों के साख जोखिम के बाजार मूल्य को प्रदर्शित कर सकता है।</p> <p>एकतरफा क्रेडिट (साख) मूल्यांकन समायोजन वह साख मूल्यांकन समायोजन है जो फर्म के प्रति प्रतिपक्ष के साख जोखिम के बाजार मूल्य को प्रदर्शित करता है, लेकिन बैंक का प्रतिपक्ष के प्रति साख जोखिम के बाजार मूल्य को नहीं प्रदर्शित करता है।</p> <p>.....</p>	<p>हेजिंग सेट एकल नेटिंग सेट के भीतर लेनदेनों की जोखिम स्थितियों का एक समूह है, जिसके लिए सीसीआर मानकीकृत पद्धति के अंतर्गत एक्सपोजर राशि या ईएडी निर्धारित करने के लिए केवल उनका जमाशेष प्रासंगिक है।</p> <p>मौजूदा एक्सपोजर किसी प्रतिपक्ष के साथ एक नेटिंग सेट के अंतर्गत किये गये लेनदेन अथवा लेनदेनों के पोर्टफोलियो के बाजार मूल्य या शून्य, इनमें जो भी अधिक हो, है जिसकी प्रतिपक्ष के डिफाल्ट करने पर हानि हो जाएगी, यह मानते हुए कि दिवालिया घोषित होने पर उन लेनदेनों का कोई मूल्य वसूल नहीं होगा। मौजूदा एक्सपोजर को अक्सर प्रतिस्थापन लागत भी कहा जाता है।</p> <p>साख मूल्यांकन समायोजन किसी प्रतिपक्ष के साथ लेन-देन के पोर्टफोलियो के मिड-मार्केट मूल्यांकन में परिवर्तन को कहते हैं। यह समायोजन किसी प्रतिपक्ष के साथ संविदात्मक करारों को निभा न पाने के कारण उत्पन्न साख जोखिम के बाजार मूल्य को व्यक्त करता है। यह समायोजन प्रतिपक्ष के साख जोखिम के बाजार मूल्य अथवा बैंक एवं प्रतिपक्ष, दोनों के साख जोखिम के बाजार मूल्य को प्रदर्शित कर सकता है।</p> <p>एकतरफा क्रेडिट (साख) मूल्यांकन समायोजन वह साख मूल्यांकन समायोजन है जो फर्मबैंक के प्रति प्रतिपक्ष के साख जोखिम के बाजार मूल्य को प्रदर्शित करता है, लेकिन बैंक का प्रतिपक्ष के प्रति साख जोखिम के बाजार मूल्य को नहीं प्रदर्शित करता है।</p> <p>बकाया ईएड किसी दिए गए ओटीसी व्युत्पन्न प्रतिपक्षकार के लिए बकाया ईएडी को शून्य से अधिक और प्रतिपक्षकार के साथ सभी नेटिंग सेटों में ईएडी के योग के बीच अंतर और उस समकक्ष के लिए ऋण मूल्यांकन समायोजन (सीवीए) जिसे बैंक द्वारा पहले ही उपगत अवलेखन (यानी सीवीए हानि) के रूप में मान्यता दी गई है के रूप में परिभाषित किया जाता</p>

क्र.	संदर्भित अनुच्छेद	मौजूदा भाग	आरबीआई विनियमन के संशोधित पाठ (ट्रैक चेंज मोड में)
			<p>है।</p> <p>क्रॉस-प्रोडक्ट नेटिंग का अर्थ एक ही नेटिंग सेट के भीतर विभिन्न उत्पाद श्रेणियों के लेनदेन को शामिल करना है</p> <p>.....</p>
3	5.15.3.5	<p>.....</p> <p>(vi) मूलधन के अनेक विनियम वाली संविदाओं के लिए, ऐड आन फैक्टर को संविदा में बचे हुए भुगतानों की संख्या से गुणा किया जाना है।</p> <p>(vii) जो संविदाएं विनिर्दिष्ट भुगतान तिथियों के बाद बकाया एक्सपोजर का निपटान करने के लिए गठित की जाती हैं और जिनमें शर्तों को इस प्रकार पुनर्निर्धारित किया जाता है कि इन निर्धारित तिथियों में संविदा का बाजार मूल्य शून्य होता है, अवशिष्ट परिपक्वता अगली पुनर्निर्धारण तारीख तक के समय के बराबर निर्धारित की जाएगी। तथापि ऐसी ब्याज दर संविदाओं के मामले में, जिनमें अवशिष्ट परिपक्वता एक वर्ष से अधिक है तथा जो उक्त मानदंडों को पूरा करती हैं, सीसीएफ या ऐड ऑन फैक्टर 1.0% के न्यूनतम के अधीन है।</p> <p>(viii) किसी भी पोर्टेशियल फ्यूचर क्रेडिट एक्सपोजर की गणना एकल मुद्रा फ्लोटिंग/अस्थिर ब्याज दर स्वेप के लिए नहीं की जाएगी; इन संविदाओं पर क्रेडिट एक्सपोजर का मूल्यांकन केवल उनके मार्क टु मार्केट मूल्य के आधार पर किया जाएगा।</p> <p>(ix) पोर्टेशियल फ्यूचर एक्सपोजर 'प्रतीत होने वाली नोशनल राशि' के बजाय 'प्रभावी नोशनल राशि' पर आधारित होना चाहिए। लेनदेन की संरचना द्वारा 'बताई गई नोशनल राशि' के लीवरेज किए जाने अथवा बढ़ाए जाने की स्थिति में, पोर्टेशियल फ्यूचर एक्सपोजर का निर्धारण करते समय बैंक को 'प्रभावी नोशनल रकम' का ही प्रयोग करना चाहिए। उदाहरण के लिए 1 मिलियन यूएस डालर की बतायी गयी नोशनल राशि बीपीएलआर /आधार दर के दुगुनी आंतरिक दर पर आधारित भुगतानों</p>	<p>.....</p> <p>नोट:</p> <p>(ए)(vi) मूलधन के अनेक विनियम वाली संविदाओं के लिए, ऐड आन फैक्टर को संविदा में बचे हुए भुगतानों की संख्या से गुणा किया जाना है।</p> <p>(बी)(vii) जो संविदाएं विनिर्दिष्ट भुगतान तिथियों के बाद बकाया एक्सपोजर का निपटान करने के लिए गठित की जाती हैं और जिनमें शर्तों को इस प्रकार पुनर्निर्धारित किया जाता है कि इन निर्धारित तिथियों में संविदा का बाजार मूल्य शून्य होता है, अवशिष्ट परिपक्वता अगली पुनर्निर्धारण तारीख तक के समय के बराबर निर्धारित की जाएगी। तथापि ऐसी ब्याज दर संविदाओं के मामले में, जिनमें अवशिष्ट परिपक्वता एक वर्ष से अधिक है तथा जो उक्त मानदंडों को पूरा करती हैं, सीसीएफ या ऐड ऑन फैक्टर 1.0% के न्यूनतम के अधीन है।</p> <p>(सी)(viii) किसी भी पोर्टेशियल फ्यूचर क्रेडिट एक्सपोजर की गणना एकल मुद्रा फ्लोटिंग/अस्थिर ब्याज दर स्वेप के लिए नहीं की जाएगी; इन संविदाओं पर क्रेडिट एक्सपोजर का मूल्यांकन केवल उनके मार्क टु मार्केट मूल्य के आधार पर किया जाएगा।</p> <p>(डी)(ix) पोर्टेशियल फ्यूचर एक्सपोजर 'प्रतीत होने वाली नोशनल राशि' के बजाय 'प्रभावी नोशनल राशि' पर आधारित होना चाहिए। लेनदेन की संरचना द्वारा 'बताई गई नोशनल राशि' के लीवरेज किए जाने अथवा बढ़ाए जाने की स्थिति में, पोर्टेशियल फ्यूचर एक्सपोजर का निर्धारण करते समय बैंक को 'प्रभावी नोशनल रकम' का ही प्रयोग करना चाहिए। उदाहरण के लिए 1 मिलियन यूएस डालर की बतायी गयी नोशनल राशि बीपीएलआर</p>

क्र.	संदर्भित अनुच्छेद	मौजूदा भाग	आरबीआई विनियमन के संशोधित पाठ (ट्रेक चेंज मोड में)
		के साथ 2 मिलियन यूएस डालर की प्रभावी नोशनल राशि होगी।	<p>/आधार दर के दुगुनी आंतरिक दर पर आधारित भुगतानों के साथ 2 मिलियन यूएस डालर की प्रभावी नोशनल राशि होगी।</p> <p><u>(vi) जब अनुबंध20 (भाग बी) में निर्दिष्ट प्रभावी द्विपक्षीय नेटिंग अनुबंध स्थापित हैं, तो आरसी शुद्ध प्रतिस्थापन लागत होगी और एड-ऑन नीचे गणना के अनुसार A_{Net} होगा:</u></p> <p><u>ए) यदि सकारात्मक हो तो, इसमें अंतर्निहित मूल के आधार पर एक एड-ऑन जोड़कर द्विपक्षीय रूप से शुद्ध वायदा लेनदेन पर क्रेडिट जोखिम की गणना शुद्ध मार्क-टू-मार्केट प्रतिस्थापन लागत के योग के रूप में की जाएगी। नेट-लेन-देन (A_{Net}) के लिए एड-ऑन सकल एड-ऑन (A_{Gross}) के भारित औसत और सकल वर्तमान प्रतिस्थापन लागत (NGR) के लिए शुद्ध वर्तमान प्रतिस्थापन लागत के अनुपात से समायोजित किए गए सकल एड-ऑन के बराबर होगा। यह निम्नलिखित सूत्र के माध्यम से व्यक्त किया गया है:</u></p> $A_{Net} = 0.4 \cdot A_{Gross} + 0.6 \cdot NGR \cdot A_{Gross}$ <p><u>जहां:</u></p> <p><u>NGR = कानूनी रूप से लागू करने योग्य नेटिंग समझौतों^{55ए} के अधीन लेनदेन के लिए शुद्ध प्रतिस्थापन लागत की कीमत/ सकल प्रतिस्थापन लागत का स्तर</u></p> <p><u>A_{Gross} = एक प्रतिपक्ष के साथ विधिक रूप से लागू करने योग्य करार के अधीन सभी लेन देनों के व्यक्तिगत एड-ऑन राशि के योग। (पैरा 5.15.3.5 की सारणी 9 में और पैरा 8.6.3 की सारणी 22 और 23 में निर्धारित उचित एड-ऑन कारकों द्वारा नोशनल मूल राशि को गुणा करके गणना की गई है)।</u></p> <p><u>(बी) फारवर्ड विदेशी मुद्रा संविदाओं और अन्य समान संविदाओं के लिए जिसमें नोशनल मूल राशि नकदी प्रवाह के बराबर है, एक प्रतिपक्षकार के संभावित भविष्य के ऋण एक्सपोजर की गणना के</u></p>

क्र.	संदर्भित अनुच्छेद	मौजूदा भाग	आरबीआई विनियमन के संशोधित पाठ (ट्रैक चेंज मोड में)
			<p><u>प्रयोजनों के लिए, नेशनल प्रिंसिपल को प्रत्येक मुद्रा में प्रत्येक मूल्य तिथि पर देय शुद्ध प्राप्तियों के रूप में परिभाषित किया गया है। इसका कारण यह है कि एक ही मुद्रा में एक ही तारीख में परिपक्व होने वाले संविदाओं में भविष्य के जोखिम के साथ-साथ वर्तमान जोखिम भी कम होगा।</u></p> <p><u>फुटनोट 55ए: बैंकों को सभी लेनदेन के लिए प्रतिपक्षकार द्वारा प्रतिपक्षकार आधार पर एनजीआर की गणना करनी चाहिए जो विधिक रूप से लागू करने योग्य नेटिंग समझौतों के अधीन हैं।</u></p>
4	5.15.3.6	<p>(ii) EAD_i^{total} प्रतिपक्षकार i की चूक पर सकल एक्सपोजर है, जो द्विपक्षीय नेटिंग⁵⁶ के प्रभाव को ध्यान में लिए बिना, बैंक द्वारा ऐसे प्रतिपक्षकार के लिए प्रतिपक्षकार जोखिम पूंजी प्रभार की गणना के लिए लागू मौजूदा एक्सपोजर पद्धति (सीईएम) के अनुसार संपार्श्विक के प्रभाव को शामिल करते हुए है। एक्सपोजर पर गुणक $(1-ईएक्सपी) (-0.05 * Mi) / (0.05 * Mi)$ लागू करके उसे कम किया जाना चाहिए। </p> <p><i>फुटनोट 56: कृपया काउंटरपार्टी क्रेडिट के द्विपक्षीय नेटिंग पर दिनांक 01 अक्टूबर 2010 का परिपत्र बैपविवि. सं. बीपी. बीसी. 48/21.06.001/2010-11 देखें, जिसमें कहा गया है कि कानूनी मुद्दों के कारण भारत में काउंटरपार्टी एक्सपोजरों के द्विपक्षीय नेटिंग की अनुमति नहीं है। अतएव, काउंटरपार्टी के साथ प्रत्येक लेन-देन अपना खुद का नेटिंग सेट बन जाता है।</i></p>	<p>(ii)..... EAD_i^{total} प्रतिपक्षकार i <u>(इसके सभी नेटिंग सेटों पर गणना की जाती है)</u> की चूक पर सकल एक्सपोजर है, <u>जो द्विपक्षीय नेटिंग⁵⁶ के प्रभाव को ध्यान में लिए बिना</u>, बैंक द्वारा ऐसे प्रतिपक्षकार के लिए प्रतिपक्षकार जोखिम पूंजी प्रभार की गणना के लिए लागू मौजूदा एक्सपोजर पद्धति (सीईएम) के अनुसार संपार्श्विक के प्रभाव को शामिल करते हुए है। एक्सपोजर पर गुणक $(1-ईएक्सपी) (-0.05 * Mi) / (0.05 * Mi)$ लागू करके उसे कम किया जाना चाहिए। </p> <p><i>फुटनोट 56: हटाया गया कृपया काउंटरपार्टी क्रेडिट के द्विपक्षीय नेटिंग पर दिनांक 01 अक्टूबर 2010 का परिपत्र बैपविवि. सं. बीपी. बीसी. 48/21.06.001/2010-11 देखें, जिसमें कहा गया है कि कानूनी मुद्दों के कारण भारत में काउंटरपार्टी एक्सपोजरों के द्विपक्षीय नेटिंग की अनुमति नहीं है। अतएव, काउंटरपार्टी के साथ प्रत्येक लेन-देन अपना खुद का नेटिंग सेट बन जाता है।</i></p>
5	7.3.8	<p>रिपो प्रकार के लेनदेन पर ऋण जोखिम तथा बाज़ार जोखिम के अतिरिक्त प्रतिपक्षी ऋण जोखिम (सीसीआर) के लिए पूंजी भार लागू होंगे। सीसीआर की परिभाषा है, रिपो - प्रकार के लेनदेन में प्रतिपक्षकार द्वारा चूक करने का जोखिम जिसके परिणामस्वरूप उधार/ गिरवी/बेची गई प्रतिभूति की सुपुर्दगी अथवा नकद राशि का भुगतान नहीं होगा।</p>	<p>7.3.8.1 रिपो प्रकार के लेनदेन पर ऋण जोखिम तथा बाज़ार जोखिम के अतिरिक्त प्रतिपक्षी ऋण जोखिम (सीसीआर) के लिए पूंजी भार लागू होंगे। सीसीआर की परिभाषा है, रिपो - प्रकार के लेनदेन में प्रतिपक्षकार द्वारा चूक करने का जोखिम जिसके परिणामस्वरूप उधार/ गिरवी/बेची गई प्रतिभूति की सुपुर्दगी अथवा नकद राशि का भुगतान नहीं होगा।</p>

क्र.	संदर्भित अनुच्छेद	मौजूदा भाग	आरबीआई विनियमन के संशोधित पाठ (ट्रेक चेंज मोड में)
		<p>.....</p> <p><u>7.3.8.2 पैराग्राफ 7.3.6 में दिए सूत्र को द्विपक्षीय नेटिंग समझौतों के साथ लेनदेन के लिए पूंजी आवश्यकताओं की गणना करने के लिए निम्नानुसार अनुकूलित किया जाएगा। द्विपक्षीय नेटिंग समझौतों को इन दिशानिर्देशों के अनुबंध 20 (भाग ए) में निर्धारित आवश्यकताओं को पूरा करना चाहिए।</u></p> $E^* = \max \{0, [(\Sigma(E) - \Sigma(C)) + \Sigma (Es \times Hs) + \Sigma (Efx \times Hfx)]\}$ <p>जहां:</p> <p><u>E* = जोखिम कम करने के बाद एक्सपोजर का मूल्य</u> <u>E = एक्सपोजर का वर्तमान मूल्य</u> <u>C = प्राप्त संपार्श्विक का वर्तमान मूल्य</u> <u>Es = किसी दिए गए प्रतिभूति में निवल स्थिति का पूर्ण मूल्य</u> <u>Hs = Es के लिए उपयुक्त हेयरकट</u> <u>Efx = निपटान मुद्रा से अलग मुद्रा में निवल स्थिति का पूर्ण मूल्य</u> <u>Hfx = मुद्रा विसंगति के लिए उपयुक्त हेयरकट</u></p> <p><u>यहां उद्देश्य यह है कि एक्सपोजर और जमानत तथा लेनदेन में शामिल प्रतिभूतियों के लिए संभावित मूल्य परिवर्तनों और विदेशी मुद्रा जोखिम, यदि कोई हो, के लिए ऐड-ऑन राशि के नेटिंग के बाद निवल जोखिम राशि प्राप्त हो। नेटिंग संविदा में शामिल प्रत्येक प्रतिभूति की निवल अधिक्रय या अधिविक्रय की स्थिति के लिए उचित हेयरकट से गुणा किया जाएगा। पैराग्राफ 7.3.6-7.3.7 में उल्लिखित हेयरकट की गणना के बारे में अन्य सभी नियम रेपो-स्टाइल लेनदेन के लिए द्विपक्षीय नेटिंग संविदाओं का उपयोग करके बैंकों के लिए समान रूप से लागू होते हैं।</u></p>
6	<u>7.3.9</u>	कोई संदर्भ नहीं है	<p>निम्नानुसार एक नया पैराग्राफ जोड़ा गया है:</p> <p><u>संपार्श्विक ओटीसी डेरिवेटिव लेनदेन</u> <u>एक व्यक्तिगत संविदा के लिए प्रतिपक्षकार क्रेडिट जोखिम प्रभार की गणना निम्नानुसार होगी:</u></p>

क्र.	संदर्भित अनुच्छेद	मौजूदा भाग	आरबीआई विनियमन के संशोधित पाठ (ट्रेक चेंज मोड में)
			<p><u>प्रतिपक्षकार प्रभार = [(RC + add-on) - C_A] x r x 9%</u></p> <p><u>जहां:</u> <u>RC = प्रतिस्थापन लागत,</u> <u>add-on = पैराग्राफ 5.15.3.5 के अनुसार गणना की जाने वाली संभावित भविष्य के जोखिम की राशि,</u> <u>C_A = अनुच्छेद 7.3.6 - 7.3.7 में निर्धारित व्यापक दृष्टिकोण के तहत अस्थिरता समायोजित संपार्श्विक राशि या शून्य, यदि लेनदेन के लिए कोई पात्र संपार्श्विक लागू नहीं होता है, और</u> <u>r = प्रतिपक्ष का जोखिम भार</u></p> <p><u>जब प्रभावी द्विपक्षीय नेटिंग समझौता लागू है, तो RC निवल प्रतिस्थापन लागत और ऐड-ऑन ए नेट होगी जिसकी गणना अनुबंध 20 (भाग बी) और पैरा 5.15.3.5 के अनुसार गणना की जाएगी। मुद्रा जोखिम (Hfx) के लिए हेयरकट को तब लागू किया जाना चाहिए जब संपार्श्विक मुद्रा और निपटान मुद्रा के बीच बेमेल हो। यहां तक कि उन मामलों में जहां एक्सपोजर, सांपार्श्विक और निपटान मुद्राओं में दो या दो से अधिक मुद्राएं शामिल हैं, मार्क टू मार्केट की आवृत्ति पर निर्भर होते हुए, आवश्यकता के अनुसार 10 कारोबार दिनों की धारण अवधि के लिए एक एकल हेयरकट को लागू किया जाएगा।</u></p>
7	16.4.3.2	अपने डेरिवेटिव एक्सपोजरों ¹¹⁷ की गणना ऋण डेरिवेटिव का प्रयोग करते हुए संरक्षण की बिक्री सहित बैंकों को वर्तमान एक्सपोजरों के लिए प्रतिस्थापना लागत (आरसी) ¹¹⁸ के रूप में, पैरा 16.4.3.3 में दिए गए अनुसार करनी चाहिए। यदि अनुबंध 20 (भाग ख) ¹¹⁹ में विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार यदि डेरिवेटिव एक्सपोजर पात्र द्विपक्षीय नेटिंग करार द्वारा कवर होता है, तो नीचे पैरा 6.4.3.4 में दर्शाये गए वैकल्पिक ट्रीटमेंट का प्रयोग ¹²⁰ किया जाए। लिखित ऋण डेरिवेटिव, नीचे पैरा 16.4.3.11 से 16.4.3.14 में निर्धारित किए गए अनुसार एक अतिरिक्त ट्रीटमेंट के	अपने डेरिवेटिव एक्सपोजरों ¹¹⁷ की गणना ऋण डेरिवेटिव का प्रयोग करते हुए संरक्षण की बिक्री सहित बैंकों को वर्तमान एक्सपोजरों के लिए प्रतिस्थापना लागत (आरसी) ¹¹⁸ के रूप में, पैरा 16.4.3.3 में दिए गए अनुसार करनी चाहिए। यदि अनुबंध 20 (भाग ख) ¹¹⁹ में विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार यदि डेरिवेटिव एक्सपोजर पात्र द्विपक्षीय नेटिंग करार द्वारा कवर होता है, तो नीचे पैरा 6.4.3.4 में दर्शाये गए वैकल्पिक ट्रीटमेंट का प्रयोग ¹²⁰ किया जाए। लिखित ऋण डेरिवेटिव, नीचे पैरा 16.4.3.11 से 16.4.3.14 में निर्धारित किए गए अनुसार एक अतिरिक्त ट्रीटमेंट के

क्र.	संदर्भित अनुच्छेद	मौजूदा भाग	आरबीआई विनियमन के संशोधित पाठ (ट्रेक चेंज मोड में)
		<p>अधीन होंगे।</p> <p>फूट नोट 117: फूट नोट 118: फूट नोट 119: वर्तमान में, पैरा 5.15.3.9 में उल्लिखित शर्तों के अधीन केवल बैंक के अर्हताप्राप्त केंद्रीय प्रतिपक्षकारों (क्यूसीसीपी) के प्रति बैंक के एक्सपोजरों के मामले में प्रासंगिक है। ओटीसी डेरिवेटिव के मामले में कृपया बैंक के तुलनपत्रेतर एक्सपोजरों के लिए विवेकपूर्ण मानदंड – प्रतिपक्षी ऋण एक्सपोजरों की द्विपक्षीय नेटिंग पर 01 अक्टूबर 2010 का परिपत्र बैंपवि. सं. बीपी. बीसी. 48/21.06.001/2010- 11 देखें। उसमें दर्शाए गए अनुसार डेरिवेटिव संविदाओं के कारण उत्पन्न बाजार दर पर (MTM) मूल्यों के द्विपक्षीय नेटिंग की अनुमति नहीं है।</p> <p>फूट नोट 120: ये नेटिंग के नियम क्रॉस-प्रोडक्ट नेटिंग को छोड़ कर हैं, अर्थात् लीवरेज अनुपात एक्सपोजर के आकलन के लिए क्रॉस-प्रोडक्ट नेटिंग की अनुमति नहीं है।</p>	<p>अधीन होंगे।</p> <p>फूट नोट 117: फूट नोट 118: फूट नोट 119: हटाया गया वर्तमान में, पैरा 5.15.3.9 में उल्लिखित शर्तों के अधीन केवल बैंक के अर्हताप्राप्त केंद्रीय प्रतिपक्षकारों (क्यूसीसीपी) के प्रति बैंक के एक्सपोजरों के मामले में प्रासंगिक है। ओटीसी डेरिवेटिव के मामले में कृपया बैंक के तुलनपत्रेतर एक्सपोजरों के लिए विवेकपूर्ण मानदंड – प्रतिपक्षी ऋण एक्सपोजरों की द्विपक्षीय नेटिंग पर 01 अक्टूबर 2010 का परिपत्र बैंपवि. सं. बीपी. बीसी. 48/21.06.001/2010- 11 देखें। उसमें दर्शाए गए अनुसार डेरिवेटिव संविदाओं के कारण उत्पन्न बाजार दर पर (MTM) मूल्यों के द्विपक्षीय नेटिंग की अनुमति नहीं है।</p> <p>फूट नोट 120: ये नेटिंग के नियम क्रॉस-प्रोडक्ट नेटिंग को छोड़ कर हैं, अर्थात् लीवरेज अनुपात एक्सपोजर के आकलन के लिए क्रॉस-प्रोडक्ट नेटिंग की अनुमति नहीं है। हालाँकि, जहाँ एक बैंक में क्रॉस-प्रोडक्ट नेटिंग सम्झौता होता है, जो अनुबंध 20 (भाग बी) की पात्रता मानदंडों को पूरा करता है, तो प्रत्येक उत्पाद श्रेणी में अलग से नेटिंग चुन सकता है बशर्ते कि इस उत्पाद श्रेणी में नेटिंग के लिए अन्य सभी शर्तें जो बेसल III लीवरेज अनुपात पर लागू होता है, पूरा किया हो।</p>
8	16.4.3.3	<p>किसी एकल डेरिवेटिव करार के लिए एक्सपोजर आकलन में शामिल की जाने वाली राशि का निर्धारण निम्नानुसार किया जाता है :</p> <p>एक्सपोजर आकलन = प्रतिस्थापन की लागत (आरसी) + एड-आन</p> <p>जहाँ, आरसी – करार की प्रतिस्थापना लागत (बाजार दर पर प्राप्त), जहाँ करार का धनात्मक मूल्य है।</p> <p>एड-आन = करार की शेष अवधि पर पीएफई की राशि, जिसकी गणना डेरिवेटिव की अनुमानित मूल राशि पर एड-आन तत्व का प्रयोग करके की गई है। एड-आन कारक पैरा 5.15.3.5 की सारणी 9 तथा पैरा 8.6.3 की सारणी 22 तथा 23 में दिए गए हैं।</p>	<p>16.4.3.3 किसी एकल डेरिवेटिव एक्सपोजर, <u>अनुबंध 20 (भाग बी) में निर्दिष्ट एक पात्र द्विपक्षीय नेटिंग संविदा द्वारा कवर नहीं किया गया है</u>, आकलन में शामिल की जाने वाली राशि का निर्धारण निम्नानुसार किया जाता है :</p> <p>एक्सपोजर आकलन = प्रतिस्थापन की लागत (आरसी) + एड-आन</p> <p>जहाँ, आरसी – करार की प्रतिस्थापना लागत (बाजार दर पर प्राप्त), जहाँ करार का धनात्मक मूल्य है।</p> <p>एड-आन = करार की शेष अवधि पर पीएफई की राशि, जिसकी गणना डेरिवेटिव की अनुमानित मूल राशि पर एड-आन तत्व का प्रयोग करके की गई है। एड-आन कारक पैरा 5.15.3.5 की सारणी 9 तथा पैरा 8.6.3 की सारणी 22 तथा 23 में दिए गए हैं।</p>

क्र.	संदर्भित अनुच्छेद	मौजूदा भाग	आरबीआई विनियमन के संशोधित पाठ (ट्रेक चेंज मोड में)
9	16.4.3.4	<p>द्विपक्षीय नेटिंग: पैरा 5.15.3.9 (i) तथा अनुबंध 20 (भाग ख) में विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार यदि कोई पात्र द्विपक्षीय निवल निर्धारण संविदा अस्तित्व में हो तो ऊपर पैरा 16.4.3.3 में दिए गए अनुसार करार में शामिल डेरिवेटिव एक्सपोजर के सेट के लिए प्रतिस्थापन लागत, निवल प्रतिस्थापन लागत तथा एड-आन कारकों का जोड़ होगी।</p>	<p>द्विपक्षीय नेटिंग: पैरा 5.15.3.9 (i) तथा अनुबंध 20 (भाग ख) में विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार यदि कोई पात्र द्विपक्षीय निवल निर्धारण करार अस्तित्व में हो तो ऊपर पैरा 16.4.3.3 में दिए गए अनुसार संविदा में शामिल डेरिवेटिव एक्सपोजर के सेट के लिए प्रतिस्थापन लागत, निवल प्रतिस्थापन लागत तथा एड-आन कारकों का जोड़ होगी।</p> <p><u>A_{Net} गणना निम्नानुसार होगी:</u></p> <p><u>(ए) द्विपक्षीय नेटेट फॉरवर्ड लेनदेन पर क्रेडिट एक्सपोजर की गणना नेट मार्क-टू-मार्केट प्रतिस्थापन लागत यदि धनात्मक है तो इसमें, आभाषी अंतर्निहित मूलधन पर आधारित ऐड-ऑन को जोड़कर की जाएगी। नेटेट लेनदेन (E_{Net}) के लिए ऐड-ऑन सकल ऐड-ऑन (E_{Gross}) के भारित औसत और सकल वर्तमान लागत मूल्य (एनजीआर) के निवल वर्तमान प्रतिस्थापन लागत के अनुपात से समायोजित किए गए सकल ऐड-ऑन के बराबर होगा। यह निम्नलिखित सूत्र के माध्यम से व्यक्त किया जाता है:</u></p> <p><u>$E_{Net} = 0.4 \cdot E_{Gross} + 0.6 \cdot \text{एनजीआर} \cdot E_{Gross}$</u></p> <p><u>जहां :</u></p> <p><u>एनजीआर- विधिक रूप से लागू करने योग्य नेटिंग संविदाओं^{23A} के अधीन लेनदेन के लिए निवल प्रतिस्थापन लागत का स्तर/ निवल प्रतिस्थापन लागत का स्तर</u></p> <p><u>E_{Gross}- किसी प्रतिपक्षकार के साथ कानूनी रूप से लागू करने योग्य नेटिंग संविदाओं के अधीन सभी लेनदेन से व्यक्तिगत ऐड-ऑन राशि तालिका 9 (पैराग्राफ 5.15.3.5) और तालिका 22 और 23 (पैराग्राफ 8.6.3 की में) निर्धारित उपयुक्त ऐड-ऑन कारकों द्वारा नोशनल मूल राशि को गुणा करके गणना की जाती है) का योग।</u></p> <p><u>(ख) वायदा विदेशी मुद्रा संविदा और अन्य समान संविदा जिसमें नोशनल मूल राशि नकदी प्रवाह के बराबर है, के लिए नेटिंग प्रतिपक्षकार के लिए संभावित भावी क्रेडिट जोखिम की गणना के प्रयोजनों के लिए, नोशनल मूल प्रत्येक मुद्रा में प्रत्येक मूल्य तिथि पर निवल प्राप्तियों के रूप में</u></p>

क्र.	संदर्भित अनुच्छेद	मौजूदा भाग	आरबीआई विनियमन के संशोधित पाठ (ट्रैक चेंज मोड में)
			<p><u>परिभाषित किया गया है। इसका कारण यह है कि एक ही तारीख को परिपक्व होने वाली किसी मुद्रा में संविदा को ऑफसेट करने से भविष्य में कम संभावित एक्सपोजर के साथ-साथ वर्तमान एक्सपोजर भी कम होगा।</u></p> <p><i>फुटनोट 120ए: बैंकों को सभी लेनदेन के लिए प्रतिपक्षी के आधार पर एनजीआर की गणना करनी चाहिए, जो विधिक रूप से लागू करने योग्य नेटिंग संविदाओं के अधीन हैं।</i></p>
10	16.4.3.8	<p>.....</p> <p>(v) डेरिवेटिव लेनदेनों की प्रतिपक्षकार विधिक संस्थाओं के बीच एक एकल मास्टर नेटिंग करार (एमएनए) ^{126, 127} के द्वारा डेरिवेटिव लेनदेनों और घट-बढ़ मार्जिन को कवर किया जाता है। एमएनए में यह स्पष्ट कहा गया हो कि यदि किसी भी प्रतिपक्षकार के संबंध में कोई क्रेडिट घटना होती है, अथवा प्राप्त अथवा उपलब्ध कराए गए घट-बढ़ मार्जिन को हिसाब में लेते हुए प्रतिपक्षकार ऐसे नेटिंग करार में शामिल किसी भुगतान दायित्व का निवल निपटान करने के लिए सहमत हैं। चूक और ऋण शोधन क्षमता अथवा दीवालियापन की स्थितियों सहित सभी संबंधित क्षेत्राधिकारों में एमएनए विधिक रूप से प्रवर्तनीय और प्रभावी ¹²⁸ होना चाहिए।</p> <p>फुट नोट 126:</p> <p>फुट नोट 127:</p> <p>फुट नोट 128: एक मास्टर नेटिंग करार द्वारा मानदंड को पूरा किया माना जाएगा, यदि यह पैरा 5.15.3.9 (i) तथा अनुबंध 20 (भाग ख) में विनिर्दिष्ट शर्तों को पूरा करता है।</p>	<p>.....</p> <p>(v) डेरिवेटिव लेनदेनों की प्रतिपक्षकार विधिक संस्थाओं के बीच एक एकल मास्टर नेटिंग करार (एमएनए) ^{126, 127} के द्वारा डेरिवेटिव लेनदेनों और घट-बढ़ मार्जिन को कवर किया जाता है। एमएनए में यह स्पष्ट कहा गया हो कि यदि किसी भी प्रतिपक्षकार के संबंध में कोई क्रेडिट घटना होती है, अथवा प्राप्त अथवा उपलब्ध कराए गए घट-बढ़ मार्जिन को हिसाब में लेते हुए प्रतिपक्षकार ऐसे नेटिंग करार में शामिल किसी भुगतान दायित्व का निवल निपटान करने के लिए सहमत हैं। चूक और ऋण शोधन क्षमता अथवा दीवालियापन की स्थितियों सहित सभी संबंधित क्षेत्राधिकारों में एमएनए विधिक रूप से प्रवर्तनीय और प्रभावी ¹²⁸ होना चाहिए।</p> <p>फुट नोट 126:</p> <p>फुट नोट 127:</p> <p>फुट नोट 128: एक मास्टर नेटिंग करार द्वारा मानदंड को पूरा किया माना जाएगा, यदि यह पैरा 5.15.3.9 (i) तथा अनुबंध 20 (भाग ख) में विनिर्दिष्ट शर्तों को पूरा करता है।</p>
11	16.4.3.9	<p>.....</p> <ul style="list-style-type: none"> • • <p>पीएफई राशि को घटाने के लिए नकद घट-बढ़ मार्जिन का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए।</p>	<p>.....</p> <ul style="list-style-type: none"> • • <p>पीएफई राशि को घटाने के लिए नकद घट-बढ़ मार्जिन का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए (16.4.3.4 में परिभाषित अनुसार निवल से सकल अनुपात (एनजीआर) की गणना समेत)।</p>

क्र.	संदर्भित अनुच्छेद	मौजूदा भाग	आरबीआई विनियमन के संशोधित पाठ (ट्रैक चेंज मोड में)
12	16.4.3.14	<p>चूंकि लिखित ऋण डेरिवेटिव को उनकी प्रभावी कल्पित राशि पर एक्सपोजर आकलन में शामिल किया गया है, तथा वे पीएफई के लिए जोड़ी गई राशियों के भी अधीन हैं, अतः लिखित ऋण डेरिवेटिव के लिए एक्सपोजर आकलन बढ़ा-चढ़ा कर दिखाया हो सकता है। अतएव, बैंक यदि चाहें तो पैरा 16.4.3.2 से 16.4.3.4¹³⁷ में अपने सकल एड-ऑन में से लिखित ऋण डेरिवेटिव के संबंध में अलग-अलग पीएफई के साथ जोड़ी गई राशि को घटा सकते हैं (जो पैरा 16.4.3.13 के अनुसार समंजित (offset) नहीं है तथा जिसकी प्रभावी कल्पित राशि एक्सपोजर आकलन में शामिल की गई है)।</p> <p><i>फूट नोट 137: इस परिच्छेद में वर्णित दोहरी गणना से बचने की दृष्टि से पीएफई एड-ऑन शून्य पर निर्धारित करें।</i></p>	<p>चूंकि लिखित ऋण डेरिवेटिव को उनकी प्रभावी कल्पित राशि पर एक्सपोजर आकलन में शामिल किया गया है, तथा वे पीएफई के लिए जोड़ी गई राशियों के भी अधीन हैं, अतः लिखित ऋण डेरिवेटिव के लिए एक्सपोजर आकलन बढ़ा-चढ़ा कर दिखाया हो सकता है। अतएव, बैंक यदि चाहें तो पैरा 16.4.3.2 से 16.4.3.4¹³⁷ में अपने सकल एड-ऑन में से लिखित ऋण डेरिवेटिव के संबंध में अलग-अलग पीएफई के साथ जोड़ी गई राशि को घटा सकते हैं (जो पैरा 16.4.3.13 के अनुसार समंजित (offset) नहीं है तथा जिसकी प्रभावी कल्पित राशि एक्सपोजर आकलन में शामिल की गई है)।</p> <p><i>फूट नोट 137: ऐसे मामलों में, जहां द्विपक्षीय नेटिंग कोट्रैक्ट उपलब्ध है और अनुच्छेद सं 16.4.3.2 से 16.4.3.4 के अनुसार ANet = 0.4·AGross + 0.6·NGR·AGross की गणना करते समय AGross को व्यक्तिगत ऐड-ऑन राशि (यानी नोशनल उचित ऐड-ऑन कारकों से गुणा) से कम हो सकता है जो लिखित क्रेडिट डेरिवेटिव से संबंधित हैं जिनकी नोशनल मात्रा को औसत अनुपात एक्सपोजर उपाय में शामिल किया जाता है। हालांकि, एनजीआर के लिए कोई समायोजन नहीं किया जाना चाहिए। जहां प्रभावी द्विपक्षीय नेटिंग कोट्रैक्ट उपलब्ध नहीं है, इस परिच्छेद में वर्णित दोहरी गणना से बचने की दृष्टि से पीएफई एड-ऑन शून्य पर निर्धारित करें।</i></p>
13	16.4.4.2 (बी)	<p>पीएफई के लिए बिना किसी एड-ऑन के चालू एक्सपोजर के रूप में गिने गए सीसीआर के आकलन की गणना निम्नानुसार की जाएगी :</p> <p>(i)जहाँ एक अर्हता प्राप्त एमएनए¹⁴⁴ मौजूद हो, चालू एक्सपोजर (E*) शून्य से बड़ा होगा तथा प्रतिभूतियों तथा किसी प्रतिपक्षकार को अर्हताप्राप्त एमएनए ($\sum E_i$) में शामिल सभी लेनदेनों सहित उधार दी गई राशि में से प्रतिपक्षकार से उन लेनदेनों के लिए प्राप्त नकद और प्रतिभूतियों का उचित मूल्य घटाया जाए।</p> <p>इसे निम्नलिखित फॉर्मूला में दर्शाया गया है -</p> <p>.....</p> <p><i>फूटनोट 144: "अर्हता प्राप्त" एमएनए वह है, जो बासल III पूंजी विनियमावली पर मास्टर परिपत्र के पैरा 5.15.3.9 (क्यूसीसीपी के प्रति एक्सपोजर) तथा अनुबंध 20, भाग ए के अंतर्गत निहित अपेक्षाओं को पूर्ण करता है।</i></p>	<p>पीएफई के लिए बिना किसी एड-ऑन के चालू एक्सपोजर के रूप में गिने गए सीसीआर के आकलन की गणना निम्नानुसार की जाएगी :</p> <p>(i)जहाँ एक अर्हता प्राप्त एमएनए¹⁴⁴ मौजूद हो, चालू एक्सपोजर (E*) शून्य से बड़ा होगा तथा प्रतिभूतियों तथा किसी प्रतिपक्षकार को अर्हताप्राप्त एमएनए ($\sum E_i$) में शामिल सभी लेनदेनों सहित उधार दी गई राशि में से प्रतिपक्षकार से उन लेनदेनों के लिए प्राप्त नकद और प्रतिभूतियों का उचित मूल्य घटाया जाए।</p> <p>इसे निम्नलिखित फॉर्मूला में दर्शाया गया है -</p> <p>.....</p> <p><i>फूटनोट 144: अर्हता प्राप्त " एमएनए वह है, जो बासल III पूंजी विनियमावली पर मास्टर परिपत्र के पैरा 5.15.3.9 (क्यूसीसीपी के प्रति एक्सपोजर) तथा अनुबंध 20, भाग ए के अंतर्गत निहित अपेक्षाओं को पूर्ण करता है।</i></p>
14	अनुबंध 7

क्र.	संदर्भित अनुच्छेद	मौजूदा भाग	आरबीआई विनियमन के संशोधित पाठ (ट्रेक चेंज मोड में)
		12 एक्सपोज़र की नेटिंग (जोड़ना) 1 अक्टूबर 2010 के परिपत्र बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 48/21.06.001/2010-11 के अनुसार काउंटरपार्टी ऋण जोखिम के लिए पूंजी पर्याप्तता, प्रावधानीकरण और एक्सपोज़र मानदंडों के प्रयोजन से, हेज पोजीशनों के मामलों के साथ-साथ एक ही काउंटरपार्टी से होने वाली संविदाओं के धनात्मक और ऋणात्मक बाजार दर आधारित मूल्यों की नेटिंग की अनुमति नहीं दी जाएगी।	12 एक्सपोज़र की नेटिंग (जोड़ना) 1 अक्टूबर 2010 के परिपत्र बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 48/21.06.001/2010-11 के अनुसार काउंटरपार्टी ऋण जोखिम के लिए पूंजी पर्याप्तता, प्रावधानीकरण और एक्सपोज़र मानदंडों के प्रयोजन से, हेज पोजीशनों के मामलों के साथ-साथ एक ही काउंटरपार्टी से होने वाली संविदाओं के धनात्मक और ऋणात्मक बाजार दर आधारित मूल्यों की नेटिंग की अनुमति नहीं दी जाएगी।
15	अनुबंध 18 सारणी डीएफ-10: प्रतिपक्षकार ऋण जोखिम से संबंधित एक्सपोज़रों के लिए सामान्य प्रकटीकरण (बी)संविदाएं, नेटिंग लाभ ²³⁴ नेटेड चालू ऋण एक्सपोजर, धारित संपार्श्विक (प्रकारों, जैसे, नकद, सरकारी प्रतिभूति आदि सहित) तथा निवल व्युत्पन्नी ऋण एक्सपोजरों ²³⁵ का सकल धनात्मक उचित मूल्य। साथ ही गलती से एक्सपोजर, या सीईएम के अंतर्गत एक्सपोजर की राशि की माप भी रिपोर्ट की जाए। ऋण व्युत्पन्नी बचाव का कल्पित मूल्य, तथा क्रेडिट एक्सपोजर के प्रकारों के अनुसार वर्तमान ऋण एक्सपोजरों का वितरण। ²³⁶ फूट नोट 234: कृपया दिनांक 01 अक्टूबर 2010 का परिपत्र बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 48/21.06.001 देखें। फूट नोट: 235 फूट नोट: 236 सारणी डीएफ-10: प्रतिपक्षकार ऋण जोखिम से संबंधित एक्सपोज़रों के लिए सामान्य प्रकटीकरण (बी)संविदाएं, नेटिंग लाभ ²³⁴ नेटेड चालू ऋण एक्सपोजर, धारित संपार्श्विक (प्रकारों, जैसे, नकद, सरकारी प्रतिभूति आदि सहित) तथा निवल व्युत्पन्नी ऋण एक्सपोजरों ²³⁵ का सकल धनात्मक उचित मूल्य। साथ ही गलती से एक्सपोजर, या सीईएम के अंतर्गत एक्सपोजर की राशि की माप भी रिपोर्ट की जाए। ऋण व्युत्पन्नी बचाव का कल्पित मूल्य, तथा क्रेडिट एक्सपोजर के प्रकारों के अनुसार वर्तमान ऋण एक्सपोजरों का वितरण। ²³⁶ फूट नोट 234: हटाया गया कृपया दिनांक 01 अक्टूबर 2010 का परिपत्र बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 48/21.06.001 देखें। फूट नोट 235: फूट नोट 236:
16	अनुबंध 20	अनुबंध 20 अनुच्छेद 5.15.3.9 क्लोज आउट नेटिंग सेट्स में निवल प्रतिस्थापन लागत को शामिल करने के लिए अपेक्षाएं ¹ क. रिपो-स्टाइल लेनदेनों के लिए यदि करार डिफाल्ट की घटना घटित होने पर प्रत्येक संबंधित अधिकार	अनुबंध 20 अनुच्छेद 5.15.3.9 क्लोज आउट नेटिंग सेट्स में निवल प्रतिस्थापन लागत को शामिल करने के लिए अपेक्षाएं ⁴ क. रिपो-स्टाइल लेनदेनों के लिए यदि करार डिफाल्ट की घटना घटित होने पर प्रत्येक संबंधित अधिकार

क्र.	संदर्भित अनुच्छेद	मौजूदा भाग	आरबीआई विनियमन के संशोधित पाठ (ट्रेक चेंज मोड में)
		<p>क्षेत्र में विधिक रूप से प्रवर्तनीय हैं भले ही प्रतिपक्ष दिवालिया हो या शोधक्षम हो तो रिपो-स्टाइल लेनदेनों को कवर करने वाले द्विपक्षीय नेटिंग समझौतों के प्रभावों को प्रतिपक्षकार -दर-प्रतिपक्षकार आधार पर शामिल किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, नेटिंग करारों के लिए</p> <p>(क) डिफाल्ट न करने वाले पक्ष को प्रतिपक्षकार के दिवालियापन या शोधक्षम होने की घटना सहित डिफाल्ट के घटित होने पर करार के अंतर्गत सभी लेनदेनों को समयबद्ध तरीके से समाप्त कर देने तथा बंद करने के अधिकार का प्रावधान करना आवश्यक है;</p> <p>(ख) उन लेनदेनों पर लाभों तथा हानियों की नेटिंग करने का प्रावधान करना आवश्यक है जो समाप्त कर दी गई है तथा बंद कर ही गई हों (किसी संपार्श्विक के मूल्य सहित) ताकि एक पार्टी द्वारा दूसरे पार्टी के प्रति एक ही निवल राशि बकाया रहे;</p> <p>(ग) डिफाल्ट घटित होने पर संपार्श्विक के तुरंत परिसमापन एवं प्रतितुलन की अनुमति देना आवश्यक है तथा;</p> <p>(घ) उक्त (क) तथा (ग) में अपेक्षित प्रावधानों से उत्पन्न अधिकारों समेत, डिफाल्ट की स्थिति में प्रत्येक संबंधित न्याय क्षेत्र में विधिक रूप से प्रवर्तनीय होना चाहिए चाहे प्रतिपक्षकार शोधक्षम या दिवालिया हो अथवा न हो।</p> <p>ख. डेरिवेटिव लेनदेनों के लिए</p> <p>.....</p> <p><i>फूटनोट 1: कृपया 02 जुलाई 2013 का हमारा परिपत्र बैपविवि. सं. बीपी. बीसी.28/21.06.2013-14 देखें।</i></p>	<p>क्षेत्र में विधिक रूप से प्रवर्तनीय हैं भले ही प्रतिपक्ष दिवालिया हो या शोधक्षम हो तो रिपो-स्टाइल लेनदेनों को कवर करने वाले द्विपक्षीय नेटिंग समझौतों के प्रभावों को प्रतिपक्षकार -दर-प्रतिपक्षकार आधार पर शामिल किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, नेटिंग करारों के लिए</p> <p>(क) डिफाल्ट न करने वाले पक्ष को प्रतिपक्षकार के दिवालियापन या शोधक्षम होने की घटना सहित डिफाल्ट के घटित होने पर करार के अंतर्गत सभी लेनदेनों को समयबद्ध तरीके से समाप्त कर देने तथा बंद करने के अधिकार का प्रावधान करना आवश्यक है;</p> <p>(ख) उन लेनदेनों पर लाभों तथा हानियों की नेटिंग करने का प्रावधान करना आवश्यक है जो समाप्त कर दी गई है तथा बंद कर ही गई हों (किसी संपार्श्विक के मूल्य सहित) ताकि एक पार्टी द्वारा दूसरे पार्टी के प्रति एक ही निवल राशि बकाया रहे;</p> <p>(ग) डिफाल्ट घटित होने पर संपार्श्विक के तुरंत परिसमापन एवं प्रतितुलन की अनुमति देना आवश्यक है तथा;</p> <p>(घ) उक्त (क) तथा (ग) में अपेक्षित प्रावधानों से उत्पन्न अधिकारों समेत, डिफाल्ट की स्थिति में प्रत्येक संबंधित न्याय क्षेत्र में विधिक रूप से प्रवर्तनीय होना चाहिए चाहे प्रतिपक्षकार शोधक्षम या दिवालिया हो अथवा न हो।</p> <p><u>(ई) बैंकिंग और ट्रेडिंग बही में विभिन्न नेटिंग पोसिशन को तभी मान्यता दी जाएगी जब नेटेड लेनदेन निम्नलिखित शर्तों को पूरा करेंगे:</u></p> <p><u>(i) सभी लेन-देन मार्केट टू मार्केट डेली हैं; और</u></p> <p><u>(ii) लेन-देन में प्रयुक्त कोलैटरल लिखतों को बैंकिंग बही में योग्य वित्तीय जमानत के रूप में मान्यता दी जाती है।</u></p> <p>ख. डेरिवेटिव लेनदेनों के लिए</p> <p>.....</p> <p><i>फूटनोट 1: कृपया 02 जुलाई 2013 का हमारा परिपत्र बैपविवि. सं. बीपी. बीसी.28/21.06.2013-14 देखें।</i></p>

क्र.	संदर्भित अनुच्छेद	मौजूदा भाग	आरबीआई विनियमन के संशोधित पाठ (ट्रेक चेंज मोड में)
			<i>फूट नोट1: हेयरकट के लिए होल्डिंग अवधि मार्जिनिंग की आवृत्ति पर अन्य रेपो-स्टाइल लेंनदेन की तरह निर्भर करेगी।</i>